

29/11/17 से पंच दी

29/11/17

पत्रावली पेश हुई / S.D.O. Sb

में होने से पत्रावली दिनांक

को पेश है।

उपलब्ध 20

27/12/17

जमान से
बंद

29/11/17

पत्रावली पेश / कुल्लाय कोर्ट में उपर / वकील वादी ने जमान
दिखा कि प्रतिवादी की मुकदमे की हुई इसके समन पर
इसकी पुत्र वधु को खमन किया जाना रिफोर्ट आई है।
इसकी मोत हुई होती तो इसकी पुत्र वधु समन गरीबोली
ऐसी स्थिति में समन एकवार जारी किया जावे / वकील
वादी के अनुसार वधु को प्रतिवादी सहमत हुए किसी स्थान
में वकील वादी के द्वारा पेश हुए जाये कर दिनांक
10/1/18 को पेश हो।

SDO

10/1/18 पत्रावली पेश / कुल्लाय कोर्ट में
उपर / प्रतिवादी (विपक्ष) का लाना से
और से लामन रिपोर्ट विपक्षी लाना उपर।

दि
जीन
1/17

जोहर रकबा कि कान्ना जीवित है।
सातवादी लीन थी जीवित है।
पत्र आदेश ७ नियम ५ सुना
गया। प्रकरण कि क्षीरस्थितियों
को देखते हुए वाद को खाल
दापर किया जाना अधिक प्रतीत
होता है। वाद पुनः दर्ज किया
वि जाति का आदेश दिया
जाता है। प्रार्थना पत्र रबीमार हे
के साल में शुमार हो।


SDO